PLUTUS IAS

UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

29/04/2024 से 05/05/2024 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. ड्रैगन एग/नेबुला/नीहारिका एवं सफेद बौना तारे की खोज..... 1
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) की संरचना एवं कार्य और अधिकार 3
3. भारतीय पोल्ट्री उद्योग की प्रमुख समस्या एवं उसका समाधान 6
4. आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट और हरित अर्थव्यवस्था 9
5. भारत के लोकतंत्र में शोम्पेन जनजाति ने पहली बार किया मतदान 11
6. भारत में बीमा विस्तार पॉलिसी..... 13

करंट अफेयर्स
अप्रैल-मई 2024

ड्रैगन एग / नेबुला / नीहारिका एवं सफेद बौना तारे की खोज

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 के ' विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष संबंधी मुद्दे खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ड्रैगन एग / नेबुला / नीहारिका और सफेद बौना तारा ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' ड्रैगन एग / नेबुला / नीहारिका एवं सफेद बौना तारे की खोज ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में खगोलविदों को ब्रह्मांड के अध्ययन के दौरान ड्रैगन एग नामक एक नेबुला/नीहारिका और एक विशाल ग्रह द्वारा सफेद बौने तारे (WDJ1914+0914) की परिक्रमा किए जाने का अप्रत्यक्ष प्रमाण मिला है।
- विश्व भर के खगोलशास्त्री ड्रैगन एग नामक इस नेबुला/नीहारिका के विश्लेषण से हैरान हैं, जिसमें एक बाइनरी स्टार सिस्टम को आवृत्त करने वाले गैस और धूम्र मेघ शामिल हैं।

नेब्युला/ निहारिका क्या होता है?

- निहारिका गैस और धूल का एक विशाल, विस्तृत बादल है जो पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है।
- नेब्युला एक अद्भुत खगोलीय संरचना है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों में पी जाती है, और इसमें प्रत्येक की अपनी - अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं।
- नेब्युला के मूल में हाइड्रोजन और हीलियम तत्व होते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर होते हैं। ये गैसें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती हैं, जो प्राचीन तारों के हृदय में बने थे। नेब्युला तारों के जन्मस्थान के रूप में कार्य करती है और धीरे-धीरे गैस और धूल को एक साथ खींचती है, जिससे घने गुच्छे बनते हैं। इन गुच्छों के कोर गरम होते हैं और अंत में परमाणु संलयन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त तापमान तक पहुंचते हैं। इस बिंदु पर एक नया तारा जन्म लेता है, जो अपने तीव्र विकिरण से आसपास की नेब्युला को रोशन करता है।
- नेब्युला तारों और आकाशगंगाओं के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही तारे नेब्युला के भीतर बनते हैं, वे धीरे-धीरे गैस और धूल को ख़त्म कर देते हैं और इसे अपनी परमाणु प्रतिक्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं।
- पूरे ब्रह्मांड में लाखों या अरबों वर्षों में, यह सबसे विशाल तारे सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित होते हैं।

ड्रैगन एग नेबुला क्या है ?

- ड्रैगन एग नेबुला एक रहस्यमय और अद्वितीय खगोलिक वस्तु है, जो आकाशगंगा में दिखाई देती है।
- इसकी विशेषता यह होती है कि यह दो तारों के आपस में विलय के परिणामस्वरूप बनी होती है।
- इस प्रक्रिया में ये दोनों ही तारे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से

आपस में बंधे होते हैं, जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं।

ड्रैगन एग नेबुला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं -

- निर्माण: ड्रैगन एग नेबुला का निर्माण एक विशाल, गर्म केंद्रीय तारे से निकलने वाली या उत्सर्जित होने वाले तीव्र तारकीय हवाओं के परिणामस्वरूप हुआ है।
- ड्रैगन एग नेबुला के क्षेत्रों का विवरण :
    - एनजीसी 6164: यह क्षेत्र केंद्रीय तारे के आसपास के उज्जवल, अधिक सघन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
    - एनजीसी 6165: यह क्षेत्र जटिल फिलामेंट्स और बुलबुले की एक श्रृंखला में बाहर की ओर फैला हुआ है।
- आकार: ये दोनों क्षेत्र नीहारिका के समग्र आकार को बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो ड्रैगन के अंडे जैसा दिखता है - इसलिए इसका लोकप्रिय नाम है।
- शक्तिशाली दूरबीनों से ही देख पाना संभव : एनजीसी 6165/6164 के सर्वोत्तम दृश्य को शक्तिशाली दूरबीनों से ही देखा जा सकता हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप या यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के बहुत बड़े टेलीस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है।
- बाइनरी स्टार के युग्म: इनमें से एक में स्टार मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि दूसरे में यह नहीं होता है, जो बड़े तारों के लिए यह असामान्य स्थिति होता है।
- मैग्नेटिक स्टार सूर्य से लगभग 30 गुना अधिक विशाल है, जबकि इसका साथी सूर्य से लगभग 26.5 गुना अधिक विशाल है।
- शोधकर्त्ताओं का मानना है, कि यह प्रक्रिया लगभग 6-4 मिलियन वर्ष पहले ट्रिपल तारें प्रणाली के रूप में शुरू हुई थी।
- दो इनरमोस्ट स्टार्स (तारों) के विलय से गैस और धूम्र अंतरिक्ष में उत्सर्जित हुआ, जिससे लगभग 7,500 वर्ष पूर्व नेबुला/नीहारिका का निर्माण हुआ है।
- इनके आपस में विलय के कारण नेबुला/नीहारिका में असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उत्सर्जित होती है।
- यह नेबुला/नीहारिका पृथ्वी से लगभग **3,700 प्रकाश वर्ष दूर** नोर्मा तारामंडल में स्थित है।
- एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है । यह पृथ्वी से लगभग **5.9 ट्रिलियन मील (9.5 ट्रिलियन किमी)** दूर होता है।
- उनमें से एक में चुंबकीय क्षेत्र होता है (जैसा कि हमारे सूर्य में है), जबकि उसके साथी में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है।
- चुंबकीय तारा सूर्य से लगभग 30 गुना अधिक विशाल है। इसका शेष साथी सूर्य से लगभग 26.5 गुना अधिक विशाल है।
- वे एक दूसरे से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से सात से 60 गुना तक की दूरी पर परिक्रमा करते हैं।

सफेद बौना तारा :

- सफेद बौने तारा (WDJ1914+0914) का अप्रत्यक्ष प्रमाण हाल ही में खगोलविदों द्वारा पाया गया है।
- यह ग्रह प्रति 10 दिन में सफेद बौने तारे की एक बार परिक्रमा करता है और इसकी परिक्रमा को चिली में स्थित एक विशाल दक्षिणी यूरोपीय वेधशाला ने खोजा है।
- इस ग्रह को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके वाष्पीकृत वातावरण में उपस्थित गैसी डिस्क (हाइड्रोजन, आक्सीजन, सल्फर) के रूप में मिले हैं। यह घटना ग्रहीय तंत्र के अद्भुत रहस्यों की जानने का एक नया प्रवेश द्वार की तरह है, जिसमें सफेद बौने तारों के अंदर भी ग्रहीय तंत्र की संभावना हो सकती है।
- सफेद बौने तारों के केंद्र में मज़बूत गुरुत्व के कारण कोर का तापमान और दबाव अत्यधिक होता है। इन तारों में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तारों की संलयन प्रक्रिया ऊष्मा और बाहर की ओर दबाव उत्पन्न करती है, जिससे तारों के द्रव्यमान से उत्पन्न गुरुत्व बल संतुलित होता है।
- तारों के बाह्य कवच में हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता कम हो जाती है और इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारों को 'लाल दानव तारा' (Red Giant Star) कहा जाता है।
- इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ, जैसे- लोहे में परिवर्तित होने लगता है।
- यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर (चंद्रशेखर सीमा) होता है तो वह लाल दानव से **'सफेद बौना' (White Dwarf)** और अंततः **'काला बौना' (Black Dwarf)** में परिवर्तित हो जाता है।

चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit) क्या है ?

- एस. चंद्रशेखर भारतीय मूल के खगोल भौतिकविद् थे,जिन्होंने सफेद बौने तारों के जीवन अवस्था के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- इसके अनुसार, सफेद बौने तारों के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा सौर द्रव्यमान का 1.44 गुना है, इसको ही चंद्रशेखर सीमा कहते है।
- एस. चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में नाभिकीय खगोल भौतिकी में डब्ल्यू. ए. फाउलर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit) एक बौने तारे (White dwarf) के अधिकतम द्रव्यमान को संदर्भित करती है। यह सीमा सौर द्रव्यमान से संबंधित है।
- चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान लगभग **1.39 सौर द्रव्यमान** है, जिससे दिखाया जाता है कि एक व्हाइट ड्वार्फ का द्रव्यमान सूर्य के

द्रव्यमान के **1.39 गुना से अधिक नहीं** हो सकता। इस द्रव्यमान से अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन अध:पतन दबाव (Electron degeneracy pressure) इस स्तर पर नहीं रह जाता है, जिससे वह तारे को न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में परिवर्तित होने से रोक सके।

ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए ड्रैगन एग नेबुला या निहारिकाओं का महत्व एवं इसकी विशेषताएँ :

- ड्रैगन एग नेबुला ब्रह्मांड के अद्वितीय रूपरेखा में एक अत्यधिक महत्व रखता है।
- खगोलशास्त्री और खगोलविज्ञानी द्वारा ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए नेबुला का अध्ययन किया जाता है और ब्रह्मांड के अपरिचित रहस्यों को इसके माध्यम से समझने की कोशिश की जाती है।
- यह नेबुला बड़े पैमाने पर होता है और इसके लेंस के माध्यम से हम सितारों, गैस, और धूल के बीच जटिल नृत्य की एक झलक देख सकते हैं।
- इसका अद्वितीय रूपरेखा ब्रह्मांड की विशालता और अनेक आश्चर्यजनक रहस्यों से हमारा परिचय करवाता है।
- खगोलशास्त्री इसे और अन्य खगोलीय पिंडों के साथ अध्ययन करके ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलते हैं और ब्रह्मांड की मूलभूत प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ का विस्तार करते हैं।
- ड्रैगन एग नेबुला ब्रह्मांड के अद्वितीय रूपरेखा के रूप में हमें ब्रह्मांड की अनगिनत चमत्कारों की याद दिलाता है।
- तारे का निर्माण : निहारिकाएं तारकीय नर्सरी के रूप में काम करती हैं, जहां टूटते हुए गैस और धूल के बादलों से नए तारे बनते हैं।
- रासायनिक संवर्धन : सुपरनोवा विस्फोट और तारकीय हवाएँ भारी तत्वों को अंतरतारकीय माध्यम में फैला देती हैं, जिससे यह तारों और ग्रह प्रणालियों की अगली पीढ़ियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण तत्वों से समृद्ध हो जाता है।
- खगोल भौतिकी अनुसंधान : नीहारिकाएं आकाशगंगाओं के विकास, तारों के जीवन चक्र और अंतरतारकीय पदार्थ की गतिशीलता को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अवलोकन और सिमुलेशन खगोलविदों को नेबुलर संरचनाओं को आकार देने वाले भौतिक तंत्र और ब्रह्मांडीय विकास में उनकी भूमिका को समझने में मदद करते हैं।

स्रोत- द हिन्दू , इंडियन एक्सप्रेस एवं विज्ञान पत्रिका

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ड्रैगन एग / नेबुला/ नीहारिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसका निर्माण गर्म केंद्रीय तारे से निकलने वाली या उत्सर्जित होने वाले तीव्र तारकीय हवाओं के परिणामस्वरूप होता है।
2. यह गैस और धूल का एक विशाल और विस्तृत बादल होता है जो ब्रह्मांड में पाया जाता है।
3. नेबुला/नीहारिका में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उत्सर्जित होती है।
4. यह दो तारों के आपस में विलय के कारण बनती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 2 ,1 और 3

B. केवल 3 , 2 और 4

C. केवल 3 , 1 और 4

D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि खगोल भौतिकी के हाल की खोजों और उसके निहितार्थों ने नई अवलोकन तकनीकों और आधुनिक तकनीकी नवाचारों में प्रगति ने ड्रैगन एग नेबुला या निहारिकाओं के महत्व और तारकीय विकास के बारे में ब्रह्मांड को समझने में हमारी समझ को कैसे बढ़ाया है ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। (शब्द सीमा - 250 शब्द अंक - 15)

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) की संरचना एवं कार्य और अधिकार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 के ' कृषि, पर्यावरण -, प्रदूषण और उससे संबंधित खतरे, कीटनाशक विषाक्तता का खतरा, FSSAI के दिशा निर्देश और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसका कार्य ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI), कीटनाशक विषाक्तता, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) की संरचना एवं कार्य और अधिकार ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने जड़ी-बूटियों और मसालों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) को **0.01 मिलीग्राम/किग्रा** से बढ़ाकर **0.1 मिलीग्राम/किलोग्राम** कर दिया है।
- भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के इस फैसले ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के बीच गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दिया है।
- भारत के खाद्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के इस निर्णय को अवैज्ञानिक, अतार्किक और अपुष्ट करार दिया है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) के इस बढ़ोतरी से स्वास्थ्य जोखिमों और भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिंताएं बढ़ गई हैं।
- इससे पहले, FSSAI ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस द्वारा स्थापित MRL का उपयोग करने की वकालत की थी, जो कि अधिकांश भारतीय कीटनाशकों के लिए क्षेत्र परीक्षण डेटा की कमी को स्वीकार करते हुए किया गया था।
- हाल ही में 8,अप्रैल 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नए आदेश में, FSSAI ने इस रुख को बदल दिया और MRL को दस गुना बढ़ा दिया है। हालाँकि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी इस फैसले के पीछे की वैज्ञानिक राय और इसे बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए विभिन्न प्रतिनिधित्वों को FSSAI ने अपने आदेश में भी उल्लेखित किया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नवीनतम आदेश का मुख्य सारांश / अर्थ :

- **FSSAI की पूर्व स्थिति में विसंगतियाँ :** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अप्रैल 2022 में भारतीय कीटनाशकों के लिए क्षेत्र परीक्षण डेटा की कमी को स्वीकार किया था और कोडेक्स मानकों के अनुसार अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) का उपयोग करने की सिफारिश की थी। हालांकि, मसालों और जड़ी-बूटियों के लिए उनका नवीनतम आदेश पिछले रुख से भिन्न है।
- डेटा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता : खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ एवं अवशेष) विनियमन, 2011 के तहत मसालों और खाद्य पदार्थों के लिए MRL निर्धारित किए गए हैं, जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIBRC) के क्षेत्र परीक्षण डेटा पर आधारित हैं। लेकिन, इन अध्ययनों का स्रोत अक्सर कीटनाशक कंपनियां होती हैं, जिससे हितों का टकराव हो सकता है। MPRNL भोजन में कीटनाशकों की मात्रा की निगरानी करती है, परंतु मसालों का परीक्षण नहीं करती और इसमें डेटा की कमी है।
- उपभोक्ताओं और व्यापार पर प्रभाव : यूरोपीय देशों ने हाल ही में अत्यधिक कीटनाशकों से युक्त भारतीय खाद्य पदार्थों को वापस कर दिया है, क्योंकि वे उनके MRL से अधिक थे। अप्रैल 2024 में, कुछ भारतीय मसाला कंपनियों पर 'एथिलीन ऑक्साइड' की अनुमेय सीमा से अधिक प्रयोग करने के लिए सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंध लगा दिया गया। एथिलीन ऑक्साइड एक हानिकारक कीटनाशक है जिसका दीर्घकालिक उपभोग कैंसर का कारण बन सकता है।

कीटनाशक विषाक्तता क्या होता है ?

- कीटनाशक विषाक्तता का अर्थ होता है - कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग से मनुष्यों या पशुओं में होने वाले हानिकारक प्रभाव।
- यह विषाक्तता दो प्रकार की होती है: तीव्र और दीर्घकालिक।
- तीव्र विषाक्तता तब होती है जब छोटे समय में बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का सेवन हो जाता है, जबकि दीर्घकालिक विषाक्तता लंबे समय तक छोटी मात्रा में कीटनाशकों के संपर्क में रहने से होती है।
- कीटनाशकों का उपयोग कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में होता है, जिसमें कीटों को नष्ट करना और उनके प्रसार को रोकना शामिल है।
- इनके अत्यधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत में, कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 के तहत होता है।
- ये नियम न्हारत में कीटनाशकों के पंजीकरण, निर्माण, और बिक्री को नियंत्रित करते हैं और यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित होते हैं।

कीटनाशकों के प्रकार :

कीटनाशक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं -

- कीटनाशक : कीड़ों और कीटों से पौधों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन।
- कवकनाशी : पौधों में कवक रोगों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन।
- शाकनाशी : खरपतवारों को समाप्त करने या उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले रसायन।
- जैव-कीटनाशक : जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया आदि से प्राप्त जैविक मूल के कीटनाशक।

- अन्य : पादप वृद्धि नियामक, सूत्रकृमिनाशक (नेमाटीसाइड), कृंतकनाशक और धूम्रकारी (फ्यूमिगेंट)।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कीटनाशक विषाक्तता कृषि श्रमिकों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके प्रतिकूल प्रभावों में कैंसर, प्रजनन एवं प्रतिरक्षा या तंत्रिका तंत्र सहित स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जैसी समस्याएं शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कीटनाशक विषाक्तता विश्व भर में कृषि श्रमिकों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- इसलिए, कीटनाशकों का सोच-समझकर और जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) क्या है ?

- **FSSAI जिसका पूरा नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था / निकाय है।**
- इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी।
- FSSAI का मुख्य कार्य पूरे भारत में बिकने वाले सभी खाद्य पदार्थों की जाँच करना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
- यह संस्था खाने और खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण करती है और खाद्य पदार्थों के आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक आधारित मानकों का निर्माण करती है।
- FSSAI भारत में खाद्य व्यवसायियों को प्रमाणन देने और खाद्य संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का काम भी करती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना :

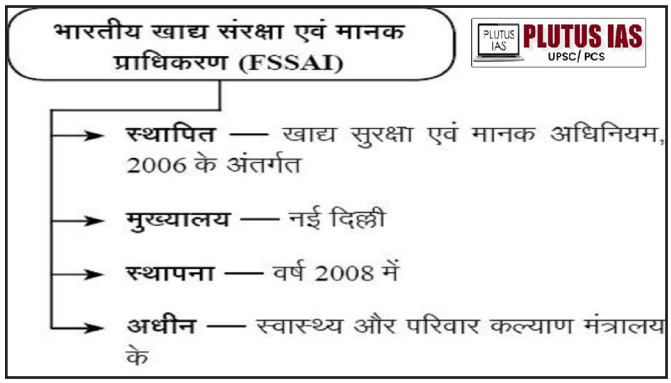

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) में प्रमुख सदस्यों की एक विशिष्ट संरचना होती है ।
- इसमें एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य होने चाहिए।
- इन सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के जैसे कि खाद्य विज्ञान, चिकित्सा, पोषण, और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
- FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका देश भर में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- FSSAI के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष ही इस संस्था के प्रमुख होते हैं।
- FSSAI के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश भूषण हैं।
- इसके अलावा, FSSAI में विभिन्न विशेषज्ञ समितियाँ और पैनल भी होते हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित विशेष मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करते हैं।
- FSSAI के सदस्यों की संरचना इस प्रकार डिजाइन की गई है कि यह खाद्य सुरक्षा और मानकों के क्षेत्र में विविधता और विशेषज्ञता को सुनिश्चित कर सके।
- इससे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को उच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलती है।
- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एक एकल संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित किया जा सके।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख कार्य और अधिकार :

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिनकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमन के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है और जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी के प्रमुख कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं -

1. विनियमन और मानक निर्धारण : FSSAI के पास खाद्य पदार्थों, उनके योजकों और संबंधित उत्पादों के लिए विनियमों और मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है।
2. लाइसेंसिंग और पंजीकरण : खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान करना FSSAI की शक्तियों में आता है।
3. प्रवर्तन : यह संस्था खाद्य सुरक्षा कानूनों और विनियमों का प्रवर्तन करती है, जिसमें निरीक्षण और निगरानी शामिल है।
4. अनुसंधान और विकास : FSSAI खाद्य सुरक्षा मानकों के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है और इसका अनुसंधान एवं विकास प्रभाग इस कार्य को संभालता है।
5. खतरों की पहचान: यह खाद्य खपत, संदूषण, और उभरते जोखिमों के संबंध में डेटा एकत्र करता है और खाद्य सुरक्षा के खतरों की पहचान करता है।
6. व्यापार में सुगमता : FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को

सरल और कारगर बनाने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे व्यापार में सुगमता की सुविधा प्रदान होती है।

7. मानकों का विस्तार : FSSAI ने मीड (हनी वाइन) और अल्कोहलिक रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों, दूध वसा उत्पादों, हलीम आदि के मानकों में संशोधन किया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के प्रमुख कार्यक्रम और अभियान :

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम और अभियान आरंभ किया हुआ हैं। जो निम्नलिखित है -

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस : यह दिवस विश्व भर में खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है और लोगों को सुरक्षित खाद्य प्रथाओं के प्रति जागरूक करता है।
- ईट राइट इंडिया : यह अभियान स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने और खाद्य पदार्थों में पोषण मूल्य को समझने के लिए जन-जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है।
- ईट राइट स्टेशन : रेलवे स्टेशनों पर स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है।
- ईट राइट मेला : यह मेला खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक : यह सूचकांक विभिन्न राज्यों में खाद्य सुरक्षा के मानकों का मूल्यांकन करता है और उन्हें रैंक प्रदान करता है।
- **RUCO (प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का पुन: उपयोग) :** इस पहल के तहत, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल को इकट्ठा करके बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है।
- खाद्य सुरक्षा मित्र : यह पहल खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करने में सहायता प्रदान करती है।
- **100 फूड स्ट्रीट्स :** इस अभियान के अंतर्गत, चुनिंदा स्ट्रीट फूड क्षेत्रों को स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। ये पहल न केवल भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों को बढ़ाती हैं, बल्कि लोगों को स्वस्थ खान-पान की ओर प्रेरित भी करती हैं।

स्त्रोत - द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC - 2018)

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है।
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया है।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केबल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान हेतु अपनाई गई नीतियों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में जड़ी - बूटियों और मसालों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) बढ़ाने पर FSSAI के हालिया आदेश के संदर्भ में कीटनाशक विषाक्तता के क्या परिणाम हो सकते हैं? (UPSC - 2022) (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारतीय पोल्ट्री उद्योग की प्रमुख समस्या एवं उसका समाधान

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था और सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ' और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 के ' पशुपालन का अर्थशास्त्र ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' H5N1, पशुधन क्षेत्र, एवियन इन्फ्लुएंज़ा (बर्ड फ्लू), पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन , 20वीं पशुधन जनगणना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारतीय पोल्ट्री उद्योग की समस्या एवं समाधान ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में H5N1 वायरस के हालिया प्रकोप ने भारतीय पोल्ट्री उद्योग के क्षेत्र की गंभीर कमियों को उजागर किया है, जिससे सार्वजनिक

स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

- H5N1 वायरस के हालिया प्रकोप ने भारत में पर्यावरणीय और कानूनी ढांचे के भीतर पशु कल्याण से संबंधित मुद्दों के व्यापक पुनर्मूल्यांकन की भी मांग करता है।
- भारत में H5N1 वायरस के प्रकोप ने वन हेल्थ के सिद्धांत को भी मजबूती प्रदान की है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जैव विविधता के संरक्षण को एक साथ जोड़ता है।

भारतीय पोल्ट्री उद्योग के समक्ष समस्याएँ :

भारतीय पोल्ट्री उद्योग के समक्ष निम्नलिखित समस्याएँ हैं -

रोग का प्रकोप और जैव सुरक्षा :

- एवियन इन्फ्लुएंज़ा (बर्ड फ्लू) : इस रोग के प्रकोप से उत्पादन में बाधा, पक्षियों की मृत्यु, और बाज़ार में खाद्य संबंधी भय उत्पन्न होता है, जिससे खपत प्रभावित होती है।
- न्यूकैसल रोग (ND) : यह वायरल रोग अत्यधिक संक्रामक होता है जो भारत में पोल्ट्री उद्योग से जुड़े स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करता है।
- जैव सुरक्षा संबंधी चिंताएँ : भारत के पोल्ट्री फॉर्मों और पक्षी बाज़ारों में अपर्याप्त जैव सुरक्षा उपायों से इस प्रकार के रोगों का प्रसार बढ़ता है।
- उच्च घनत्व वाले पोल्ट्री फॉर्मों : भारत में मुर्गियों को पालने के लिए अक्सर 'बैटरी पिंजरों' में रखा जाता है, जिससे इस उद्योग में अतिसघनता और दबाव दोनों ही उत्पन्न होता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव : भारतीय पोल्ट्री उद्योग और उससे जुड़े रोगों से वायु की गुणवत्ता खराब होती है, अपशिष्ट जमा होता है, और ग्रीनहाउस गैस का भी अत्यधिक उत्सर्जन होता है।

बाज़ार में उतार-चढ़ाव और मूल्य अस्थिरता :

- फीड मूल्य में उतार-चढ़ाव : मक्का और सोयाबीन जैसे पोल्ट्री फीड सामग्री की कीमतों में अस्थिरता से उत्पादन लागत और आयात निर्भरता प्रभावित होती है।
- उपभोक्ता मांग में उतार-चढ़ाव : इस रोग के प्रकोप के बारे में विभिन्न भ्रांतियाँ और गलत सूचनाओं के प्रसार से भारत में इसकी खपत में कमी आ सकती है।

बुनियादी ढाँचा और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियाँ :

- सीमित कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर : इससे उत्पादन में खराबी और बर्बादी होती है।
- अव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला : इससे लेन - देन की लागत बढ़ती है और किसानों का मुनाफा कम होता है।

नीति एवं नियामक मुद्दे :

- असंगठित नियामक ढाँचा: अतिव्यापी नियमों से भ्रम और अनुपालन चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- ऋण तक सीमित पहुँच: छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को औपचारिक ऋण तक पहुँचने में कठिनाई होती है।

श्रम चुनौतियाँ :

- भारत में पोल्ट्री फार्मों के लिए कुशल श्रमिकों की कमी से इसकी परिचालन दक्षता प्रभावित होती है।
  - पर्यावरणीय चिंताएँ : अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से जल और वायु प्रदूषण हो सकता है।
  - एंटीबायोटिक प्रतिरोध : भारत में प्रोटीन की मांग बढ़ने से एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग हो रहा है।
  - पशु कल्याण संबंधी चिंताएँ : भारत में उचित पशु कल्याण मानकों को सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
  - मुश्किल निकास : भारत में पोल्ट्री उद्योग से संबंधित अनुबंध खेती और विशेष कौशल के कारण किसानों को उद्योग से बाहर निकलने में कठिनाई होती है।

- H5N1 एवियन इंफ्लुएंज़ा के प्रकोप ने वास्तव में पशु कल्याण और मानव स्वास्थ्य के प्रति हमारी समझ का विस्तार किया है और मानव स्वास्थ्य के प्रति हमें गंभीर और संवेदनशील बनाया है।
- वर्ष 1997 में हॉन्गकॉन्ग में मनुष्यों में H5N1 के संक्रमण की पहली घटना ने इस वायरस के मानव संक्रमण की संभावना को उजागर किया था।

- भारत में वर्ष 2006 में महाराष्ट्र में पहले H5N1 रोगी की सूचना के बाद, 2020 और 2021 में इसके प्रकोप ने भारत के 15 राज्यों में फैलकर लोगों को प्रभावित किया था।
    - वैश्विक स्तर पर, H5N1 ने आर्कटिक और अंटार्कटिका में वन्यजीवों पर भी अपना प्रभाव दिखाया है, जिससे इसकी प्रजातियों की बाधाओं को पार करने की क्षमता स्पष्ट होती है।
    - WHO के अनुसार, 2003 से दर्ज मामलों के आधार पर H5N1 की मृत्यु दर लगभग 52% है, जो इसके गंभीर जोखिम को दर्शाता है।
    - इस रोग के प्रसार की स्थिति को देखते हुए भारत में पशु कल्याण और मानव स्वास्थ्य के लिए उचित निगरानी और निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है।

भारतीय पोल्ट्री उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं-

पोल्ट्री पक्षियों की स्थिति :

- 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, भारत में 851.8 मिलियन पोल्ट्री पक्षी हैं।
- लगभग %30 'बैकयार्ड पोल्ट्री' या छोटे और सीमांत किसान हैं।
- पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियाँ, टर्की, बत्तख, हंस आदि को मांस और अंडे के लिए पाला जाता है।

भारतीय पोल्ट्री उद्योग इकाइयों की कानूनी स्थिति :

- पोल्ट्री किसानों के लिए दिशा-निर्देश, 2021:
    - छोटे किसान: 5,000-25,000 पक्षी
    - मध्यम किसान: 25,000 से अधिक और 1,00,000 से कम पक्षी
    - बड़े किसान: 1,00,000 से अधिक पक्षी
- मध्यम आकार के पोल्ट्री फार्म की स्थापना और संचालन के लिए जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति से सहमति का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

भारतीय पोल्ट्री उद्योग से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधान :

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) 5,000 से अधिक पक्षियों वाली पोल्ट्री इकाइयों को प्रदूषणकारी उद्योगों के रूप में वर्गीकृत करता है।
- पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960, पशु कल्याण के महत्त्व को पहचानते हुए, मुर्गियों सहित जानवरों को कैद करने पर रोक लगाता है।

भारतीय पोल्ट्री उद्योग से जुड़े कुछ पहल :

- पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड (PVCF): पशुपालन और डेयरी विभाग इसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के "उद्यमिता विकास और रोज़गार सृजन" (EDEG) के तहत कार्यान्वित कर रहा है।
    - राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): NLM के तहत विभिन्न कार्यक्रम जिसमें रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट (RBPD) और इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (IPPP) को लागू करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
    - पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD) योजना: ASCAD योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण' (LHDC) के तहत आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण पोल्ट्री रोगों जैसे; रानीखेत रोग, संक्रामक बर्सल रोग, फाउल पॉक्स आदि के टीकाकरण को कवर करती है।

भारतीय पोल्ट्री उद्योग की समस्या का समाधान :

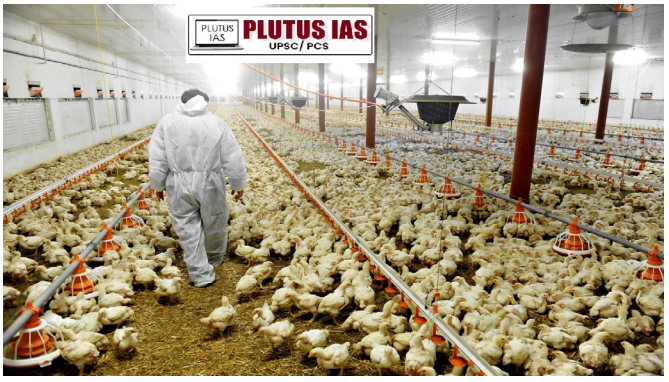

भारतीय पोल्ट्री उद्योग की समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय को अपनाना अत्यंत आवश्यक हैं -

जैव सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता के रूप में अपनाना :

- पृथक्करण : विभिन्न आयु और स्वास्थ्य स्थिति वाले पोल्ट्री फ्लॉक्स को अलग करने से रोग संचरण का जोखिम कम होता है। इसे भारत में विभागीकरण पोल्ट्री क्षेत्रों की स्थापना और जैव-सुरक्षित सुविधाओं में मल्टी ऐज रिअरिंग को प्रोत्साहित करके लागू किया जा सकता है।
- टीकाकरण कार्यक्रम : एवियन इन्फ्लुएंजा और न्यूकैसल रोग जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण प्रोटोकॉल विश्व स्तर पर मानक हैं। भारत अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों को मजबूत कर सकता है

और छोटे पैमाने के किसानों तक इसकी पहुंच बढ़ा सकता है।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसकी दक्षता को बढ़ाना :

- सटीक फीडिंग : उन्नत फीडिंग प्रणालियां, जो व्यक्तिगत पक्षी की जरूरतों के अनुसार फीड उपयोग को अनुकूलित करती हैं, को अपनाने से भारतीय पोल्ट्री फार्मों में फीड रूपांतरण दक्षता में सुधार हो सकता है।
- पर्यावरण निगरानी प्रणाली : तापमान, आर्द्रता, और अमोनिया के स्तर की वास्तविक समय में निगरानी से पोल्ट्री घरों में इष्टतम पक्षी स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। कम लागत वाले सेंसरों का उपयोग करके भारतीय खेतों में इसे लागू किया जा सकता है।

एक सतत् आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना :

- अनुबंध खेती : उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच अनुबंध खेती से किसानों को बाजार पहुंच और उचित मूल्य सकता है।
- कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर : मजबूत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से परिवहन और भंडारण के दौरान नुकसान कम होता है। भारत दूरदराज के उत्पादन क्षेत्रों को प्रमुख उपभोग केंद्रों से जोड़कर कुशल कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित कर सकता है।
- सरकारी सहायता, उद्योग समन्वय और किसानों की जागरूकता के माध्यम से, भारतीय पोल्ट्री उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक अपना सकता है।
- इस तरीके से न केवल सतत विकास और उच्चतर जैव सुरक्षा को बल मिलेगा, बल्कि भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता भी बढ़ेगी।
- भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र की समस्याका समाधान होने के परिणामस्वरूप, भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि में भी सुधार होगा।

स्रोत - ' द हिंदू एवं इंडियन एक्सप्रेस '

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारत के समाचार पत्रों में H1N1 विषाणु के नाम का अक्सर उल्लेख किया जाता है। यह विषाणु निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का प्रमुख कारक है ? (UPSC - 2015)

A. एड्स (AIDS)

B. स्वाइन फ्लू

C. डेंगू

D. बर्ड फ्लू

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय पोल्ट्री उद्योग की प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारतीय पोल्ट्री उद्योग किस प्रकार भारत में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में अपना योगदान को सुनिश्चित कर सकता हैं? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE- 2021 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट और हरित अर्थव्यवस्था

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, हरित अर्थव्यवस्था पर जलवायु आघात और चरम मौसम की घटनाओं का प्रभाव ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट और हरित अर्थव्यवस्था ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट और हरित अर्थव्यवस्था ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 23 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम और हालिया जारी अप्रैल बुलेटिन 2024 (अप्रैल बुलेटिन) में और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों पर गहराई से चर्चा की गई है।
- इसमें खराब मौसम की घटनाओं और जलवायु झटकों को खाद्य मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।
- इस रिपोर्ट में एक नवीन-कीनेसियन मॉडल का उल्लेख किया गया है जो जलवायु संबंधी भौतिक जोखिमों को अपने रिपोर्ट में शामिल करता है और जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले व्यापक आर्थिक प्रभावों का अनुमान लगाने में सहायक है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु संबंधी शमन नीतियों के अभाव में, 2050 तक भारत का दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादन लगभग %9 तक कम हो सकता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति हिस्टैरिसीस के मजबूत होने पर, मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई उम्मीदें भी कमजोर पड़ सकती हैं, जिससे RBI की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ेगा और उच्च ब्याज दरों की आवश्यकता होगी, जिससे उत्पादन में और अधिक नुकसान होगा।

खाद्य मुद्रास्फीति पर जलवायु आघात और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव पर आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के आकलनों का प्रमुख निष्कर्ष :

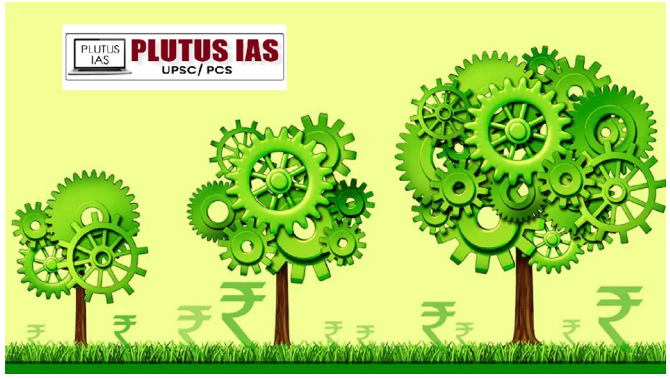

- आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं का खाद्य मुद्रास्फीति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इन घटनाओं से खाद्य उत्पादन में बाधा आती है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है और यह वृद्धि अन्य क्षेत्रों में भी मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है।
- इस रिपोर्ट में न्यू-कीनेसियन मॉडल का उपयोग करके जलवायु जोखिमों के आर्थिक प्रभावों का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भौतिक जलवायु जोखिम क्षति फ़ंक्शन को भी शामिल किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों या झटका खाद्य उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति को किस प्रकार और किस हद तक प्रभावित करते हैं।
- रिपोर्ट यह भी बताती है कि जलवायु शमन नीतियों के बिना, 2050 तक भारत का दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादन लगभग %9 तक कम हो सकता है, जो खाद्य उत्पादन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है।
- इसके अलावा, मुद्रास्फीति हिस्टैरिसीस के मजबूत होने की संभावना है, जिससे मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हो सकती हैं और खाद्य मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं का वित्तीय स्थिरता और मुद्रास्फीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, और इसके निवारण के लिए तत्काल और प्रभावी नीतियों की समीक्षा करने की और नई नीतियों को बनाने की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हरित अर्थव्यवस्था या हरित वित्त के प्रोत्साहन के लिए किए गए महत्वपूर्ण पहल या सुझाव :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हरित वित्त के प्रोत्साहन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलों का सुझाव दिय है। ये पहल निम्नलिखित हैं -

1. ग्रीन डिपॉजिट्स की स्वीकृति के लिए ढांचा तैयार करना : भारत में हरित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आरक्षित इकाई (परिणाम) / रिजर्व एंटिटीज (REs) को ग्रीन डिपॉजिट्स प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें ग्रीन डिपॉजिट्स के लिए नियम, उनके उपयोग की अवधि, ब्याज दर, और उनके उपयोग के लिए निर्दिष्ट उद्देश्य शामिल हो सकते हैं।
2. हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन वित्त के लिए लक्ष्य तय करना : आरक्षित इकाई (परिणाम) / रिजर्व एंटिटीज (REs) को हरित अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य तय करने की सलाह दी गई है। यह जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है।
3. ग्रीन वित्त के लिए नए वित्तीय उपकरण और नए वित्तीय संस्थानों की स्थापना करना : ग्रीन वित्त के लिए नए वित्तीय उपकरण जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स, कार्बन मार्केट उपकरण (जैसे कार्बन कर), और नए वित्तीय संस्थान (जैसे कि ग्रीन बैंक और ग्रीन फंड) की स्थापना की जा रही है।

इस तरह के तमाम पहल भारत में हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन वित्त को बढ़ावा देने और वायुमंडलीय गैसों के शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और हरित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों को समझना और उनसे निपटना आवश्यक है। चरम मौसम की घटनाओं के कारण खाद्य उत्पादन पर बढ़ते जोखिमों के मद्देनजर, जलवायु से संबंधित लचीले कृषि प्रथाओं या प्रणालियों और बुनियादी ढांचे में निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता भी बढ़ेगी।
- खाद्य स्रोतों में विविधता लाने से एकल फसल पर निर्भरता कम होगी, और जलवायु संबंधी व्यवधानों के प्रति लचीलापन बढ़ेगा।
- भारत में स्थानीय खाद्य उत्पादन, छोटे किसानों का समर्थन, और ऊर्ध्वाधर खेती या हाइड्रोपोनिक्स जैसे नवीन खाद्य उत्पादन तरीकों में निवेश से खाद्य उत्पादन के क्षेत्र की स्थिरता में सुधार होगा।
- हरित वर्गीकरण, जो आर्थिक गतिविधियों की स्थिरता की साख

का आकलन करता है, आरबीआई और वित्त मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। आसियान क्षेत्र से प्रेरणा लेकर, भारत को एक स्तरित हरित वर्गीकरण विकसित करना चाहिए जो टिकाऊ प्रगति के क्षेत्रगत नजरिए के अनुरूप हो।

- भारत द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का जारी करना और विदेशी निवेशकों को भविष्य की हरित प्रतिभूतियों में भागीदारी की अनुमति देना, ये दोनों ही कदम संसाधन पूल का विस्तार करने के लिए स्वागत योग्य हैं।
- आरबीआई को भारत की जलवायु परिवर्तन के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव का गहन आकलन करना चाहिए और एक ऐसे हरित वर्गीकरण को आबाद करना चाहिए जो भारत की विकासात्मक प्रगति को प्रतिबिंबित करे।
- भारत में हरित अर्थव्यवस्था के टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ते कदम के साथ, वित्तीय प्रणाली में संक्रमणकालीन जोखिमों को कम करने के प्रयास भी होने चाहिए।

स्त्रोत - द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की मौद्रिक नीति को बनाता या जारी करता है ?

1. इसे भारत का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है।
2. यह भारत का वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
3. भारत का नीति आयोग भारत की मौद्रिक नीति को बनाता है।
4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत की मौद्रिक नीति को जारी किया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 2 .1 और 3
B. केवल 3 ,2 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारत में हरित वित्त के प्रोत्साहन के लिए किए गए महत्वपूर्ण पहलों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि आरबीआई की वर्तमान मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख समस्या क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है ? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत के लोकतंत्र में शोम्पेन जनजाति ने पहली बार किया मतदान

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, एससी और एसटी से संबंधित मुद्दे ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और भारत में जनजातीय गौरव दिवस ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत के लोकतंत्र में शोम्पेन जनजाति ने पहली बार किया मतदान ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है, ने भारत की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में पहली बार मतदान किया। इस जनजाति के सात सदस्यों ने अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन सदस्यों को ईवीएम और वीवीपेट का प्रशिक्षण दिया गया था। भारत में शोम्पेन जनजाति की जनसंख्या लगभग 229 है। यह जनजाति अपनी अनूठी भाषा और बोलियों के लिए जानी जाती है। इन जनजातियों की सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक है। इनमें आमतौर पर एकल विवाह का प्रचलन है, किन्तु इसके साथ-ही-साथ इन जनजातियों में बहुविवाह को भी स्वीकार किया जाता है। इस जनजाति को भारत में ‹विशेष रूप से कमजोर जनजातियों› में शामिल किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले दो वर्षों में PVTGs और अन्य जनजातियों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कई प्रयास किए हैं। जिसके परिणामस्वरूप 2024 के लोकसभा चुनाव में इन समूहों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

There are multiple repetitive sentences, along with some unwanted information. Coherence is missing in most of your text. Try to keep your text simple, interesting, and coherent, with an optimum flow of sentences.

- ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है, ने भारत की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में भारत के नागरिक के रूप में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग

करते हुए पहली बार मतदान किया है।

- भारत के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इतिहास में इस घटना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि शोम्पेन जनजाति भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups - PVTGs) में से एक है।
- इस उल्लेखनीय घटना में, शोम्पेन जनजाति के सात सदस्यों ने अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
- इस जनजाति के सदस्यों ने 'शोम्पेन हट' नामक मतदान केंद्र पर वोट डाला और चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए 'मतदान जरूर करें' कट-आउट पर सेल्फी भी ली।
- ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति के इन सदस्यों को ईवीएम और वीवीपेट का प्रयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया गया था।
- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने पिछले दो वर्षों में PVTGs और अन्य जनजातीय समूहों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2024 के लोकसभा चुनाव में इन समूहों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
- जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर, वर्ष 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने PVTGs के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए **' विकसित भारत संकल्प यात्रा ', PM PVTG विकास मिशन, और ' प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान '** जैसी तीन प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शोम्पेन जनजाति की जनसंख्या लगभग 229 है।
- भारत में यह जनजाति अपनी अनूठी भाषा और बोलियों के लिए जानी जाती है।
- इन जनजातियों की सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक है।
- इन जनजातियों की सामाजिक संरचना में आमतौर पर एकल विवाह का प्रचलन है , किन्तु इसके साथ - ही - साथ इन जनजातियो में बहुविवाह को भी स्वीकार किया जाता हैं, अर्थात इनमें बहु - विवाह को भी सामाजिक स्वीकार्यता है।
- अंडमान द्वीपसमूह में निवास करने वाले पाँच PVTGs में ग्रेट अंडमानीज़, ज़ारवा, ओंगेस, शोम्पेन, और नॉर्थ सेंटिनलीज़ शामिल हैं।
- इन्हें मूल रूप से 1973 में ढेबर आयोग द्वारा आदिम जनजातीय समूह (PTG) के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसे बाद में 2006 में भारत सरकार ने पीवीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Groups - PVTGs) के रूप में इन जनजाति समूहों का नाम बदल दिया गया है।

भारत में जनजातीय गौरव दिवस क्यों महत्वपूर्ण है ?

- जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) भारत की जनजातीय समुदायों के योगदान और उनकी वीरता को सम्मानित करने का एक दिन है। यह दिन भारतीय संस्कृति की विविधता और जनजातीय समुदायों के संरक्षण और उनके द्वारा राष्ट्रीय गौरव, वीरता, और आतिथ्य के मूल्यों के प्रचार के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है।
- इस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) के अवसर पर मनाया जाता है, जो एक प्रमुख जनजातीय नेता थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े थे।
- जनजातीय समुदायों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कई आंदोलन किए, जिनमें तमाड़, संथाल, खासी, भील, मिज़ो, और कोल जैसे समुदाय शामिल हैं।
- भारत में जनजातीय गौरव दिवस दिन उनके संघर्ष और बलिदान को याद करने और उनके योगदान को सराहने का अवसर प्रदान करता है।

भारत में जनजातीय समुदायों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल :

- भारत में जनजातीय समुदायों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN), विकसित भारत संकल्प यात्रा, और PM-PVTG विकास मिशन शामिल हैं।
- भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए इन पहलों का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करना, उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, और उन्हें मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया में शामिल करना है।
    - इसके अतिरिक्त, आदिवासियों से संबंधित अन्य सरकारी पहलों में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED),
    - जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
    - प्रधानमंत्री वन धन योजना, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) शामिल हैं, जो जनजातीय समुदायों के विकास और समृद्धि के लिए कार्यरत हैं।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारतीय लोकतंत्र में शोम्पेन जनजाति के सदस्यों ने पहली बार मतदान करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
- भारत के लोकतंत्र के इतिहास में इस घटना ने न केवल भारत में विशेष

रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए लोकतंत्र की नई उम्मीदों और समाधानों की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त किया है।

- भारत के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ऐतिहासिक सफ़र में इस उपलब्धि ने दिखाया है कि भारत के दूर-दराज के समुदाय भी राष्ट्रीय चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।
- भारत के लोकसभा चुनाव 2024 की यह घटना भारतीय लोकतंत्र की विविधता, भारत की अखंडता और अनेकता में एकता तथा सभी नागरिकों की समावेशिता का प्रतीक है।

स्रोत - ' द हिंदू एवं इंडियन एक्सप्रेस '

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC प्री - 2019)

1. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) भारत के 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में निवास करते हैं।
2. भारत में स्थिर या कम होती जनसंख्या के तहत PVTGs की जन्संखायिक स्थिति निर्धारण के मानदंडों में से एक महत्वपूर्ण घटक है।
3. भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय तक लगभग 95 PVTGs को आधिकारिक तौर पर भारत में अधिसूचित किया गया हैं।
4. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) की सूची में ईरूलर और कोंडा रेड्डी जनजातियों को भी शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 2 ,1 और 3

B. केवल 3 ,2 और 4

C. केवल 2 ,1 और 4

D. केवल 3 ,1 और 4

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में जनजातीय गौरव दिवस क्यों महत्वपूर्ण है को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को देश की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों की मुख्य चुनौतियाँ क्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE - 2022 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में बीमा विस्तार पॉलिसी

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र - 3 के ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत में बैंकिंग प्रणाली एवं भारतीय बीमा उद्योग और भारत में बीमा विस्तार पॉलिसी ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारत में बीमा विस्तार पॉलिसी ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में बीमा विस्तार पॉलिसी ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भारत में एक नई और महत्वाकांक्षी बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है जिसे 'बीमा विस्तार' कहा जा रहा है।
- यह बीमा पॉलिसी ग्रामीण भारत के लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है।
- भारत में बीमा विस्तार का मुख्य उद्देश्य भारत के आम नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और संपत्ति बीमा को एक ही पॉलिसी में समाहित करना है।
- इस बीमा पॉलिसी की कीमत 1,500 रुपए प्रति पॉलिसी रखी गई है, जो इसे अत्यंत सस्ता, किफायती और आम नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।

बीमा विस्तार पॉलिसी क्या है ?

- **' बीमा विस्तार पॉलिसी '** एक अनूठी बीमा पॉलिसी है जो बीमा ट्रिनिटी का हिस्सा है।
- यह जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और संपत्ति बीमा की संयुक्त सुविधाओं के साथ एक मूलभूत सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करती है।
- इस पॉलिसी का मकसद गांवों समेत देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी तक बीमा मुहैया कराना है।
- इस पॉलिसी के तहत, लाइफ, प्रॉपर्टी और पर्सनल एक्सिडेंट के मामले

में 2-2 लाख रुपये का बीमा कवर मिल सकता है, और 'हॉस्पिटल कैश' के नाम से हेल्थ कवर भी मिलेगा, जिसमें बीमा कराने वाले को 5000 रुपये के बिल का कैशलेस भुगतान शामिल है।

- इस पॉलिसी को बेचने वाले एजेंटों को 10 प्रतिशत कमिशन दिया जा सकता है।
- इस प्रकार, 'बीमा विस्तार' भारतीय बीमा बाजार में एक नवीन पहल है जो बीमा कवरेज को अधिक सुलभ और सस्ता बनाने का प्रयास करती है।

भारत में बीमा विस्तार की प्रमुख विशेषताएं :

भारत में बीमा विस्तार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है -

- जीवन बीमा प्रीमियम: ₹820
- स्वास्थ्य कवर: ₹500
- व्यक्तिगत दुर्घटना कवर: ₹100
- संपत्ति कवर: ₹80

यदि पूरे परिवार के लिए फ्लोटर आधार पर बीमा कवर लिया जाता है, तो पॉलिसी की लागत ₹2,420 होगी। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ₹900 की अतिरिक्त राशि देय होगी।

बीमा कवर की राशि :

- जीवन, व्यक्तिगत दुर्घटना, और संपत्ति कवर: ₹2 लाख
- स्वास्थ्य कवर (अस्पताल नकद): 10 दिनों के लिए ₹500 प्रतिदिन, अधिकतम ₹5,000 बिना बिल या दस्तावेज के।

इसके तहत बीमा विस्तार पॉलिसी बेचने वाले एजेंट %10 का कमीशन अर्जित करते हैं, जिससे उत्पाद का व्यापक वितरण सुनिश्चित होता है और इसे अधिक से अधिक लोगों द्वारा अपनाया जा सकता है।

भारत में बीमा क्षेत्र के विस्तार के लाभ :

1. वित्तीय समावेशन: उचित लागत पर विश्वसनीय बीमा सुविधा के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।
2. जोखिम संरक्षण: व्यक्तियों और परिवारों को विभिन्न जोखिमों और अनिश्चितताओं से सुरक्षा।
3. बीमा पहुँच: देश में बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए एक व्यापक उत्पाद के रूप में मान्यता, जिससे सूक्ष्म बीमा उत्पादों की तुलना में इसका विक्रय आकार बड़ा होने की अपेक्षा है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) :

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) भारत में बीमा उद्योग के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त और वैधानिक संस्था है।
- यह संस्था **IRDA अधिनियम, 1999** के अंतर्गत स्थापित की गई थी और इसका मुख्य कार्य बीमा और पुनर्बीमा गतिविधियों का प्रबंधन और नियमन करना है।
- **IRDAI में एक अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होते हैं, जिनमें पाँच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।**
  - इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

भारत में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का मुख्य कार्य :

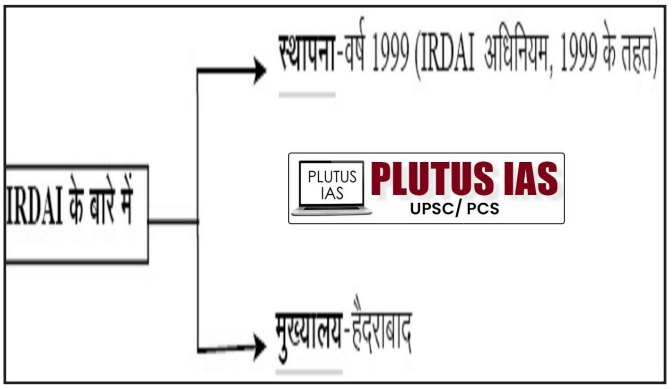

भारत में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं -

- बीमा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।
- पॉलिसीधारकों के साथ उचित और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना।
- बीमा पॉलिसी जारीकर्त्ताओं की निगरानी करना ताकि जन सामान्य के हित प्रभावित न हों।
- बीमा क्षेत्र का विकास करना : IRDAI बीमा क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है और इसके लिए नई नीतियां और दिशा - निर्देश तैयार करता है।
- पॉलिसीधारकों की शिकायतों का निवारण करना : इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह पॉलिसीधारकों की शिकायतों का निवारण करत है और उनके संरक्षण के लिए भी कार्य करता है।
- बीमा के प्रति भरोसा व्यवस्था को कायम रखना : यह एक केंद्रीय भंडार है जो बीमा शिकायतों के डेटा को संग्रहित करता है और

शिकायत दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है।

- **IRDAI शिकायत कॉल सेंटर (IGCC) की व्यवस्था करना :** भारत में यह पॉलिसीधारकों की शिकायतों को प्राप्त करता है और उसे दर्ज भी करता है, और पॉलिसीधारकों को उनकी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करता है।
- बीमा लोकपाल के लिए एक चैनल प्रदान करना : यह पॉलिसीधारकों को बीमा लोकपाल के बारे में शिक्षित करना जो शिकायतों के उचित निपटान के लिए एक चैनल प्रदान करता है।
- इन कार्यों के अलावा, भारत में IRDAI बीमा उद्योग में वित्तीय सुदृढ़ता और निष्पक्ष व्यवहार के उच्च मानकों को स्थापित करने, बढ़ावा देने, निगरानी करने और लागू करने का कार्य भी करता है।
- यह पॉलिसीधारकों के वास्तविक दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने और दावों के निपटान की प्रक्रिया में गलत व्यवहार को रोकने का कार्य भी करता है।

भारतीय बीमा क्षेत्र की ऐतिहासिक विकास यात्रा :

- सन 1950 में भारत सरकार ने भारतीय बीमा उद्योग का आरंभिक चरण को राष्ट्रीयकरण करते ही भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की नींव रखी थी।
- **1990 का दशक** : इस दशक में बीमा उद्योग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जब सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए इसे खोलने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से, सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्थापना हुई थी।
- सन 2000 में भारत सरकार द्वारा भारत में विदेशी कंपनियों को भारतीय बीमा कंपनियों में **%26** तक की हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति मिली। बाद में, इसे बढ़ाकर **%49** तक कर दिया गया।

स्विस रे सिग्मा रिपोर्ट के अनुसार :

- **FY23** में, भारत की समग्र बीमा पहुँच **%4.2** से घटकर **%4** हो गई, जो कि वैश्विक बीमा पहुँच **%6.8** की तुलना में कम है।
- **FY23** में, भारत का बीमा घनत्व **91 USD** से बढ़कर **92 USD** हो गया।

बीमा घनत्व का अर्थ है बीमा कंपनियों द्वारा एकत्रित किए गए प्रीमियम का देश की जनसंख्या से अनुपात, जिसे प्रायः अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। यह आंकड़ा देश के बीमा बाजार की गहराई और पहुँच को दर्शाता है।

भारत में बीमा विस्तार का निष्कर्ष और समाधान/ आगे की राह :

निष्कर्ष :

- भारतीय बीमा उद्योग ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विकास दिखाया है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 23-2022 के अनुसार, बीमा प्रवेश दर में वृद्धि हुई है और बीमा घनत्व भी बढ़ा है[1]।
- भारत में IRDAI द्वारा नए दिशा-निर्देशों के जारी करने से बीमा क्षेत्र में नवाचार और बीमा क्षेत्र में विस्तार को बढ़ावा मिला है।

समाधान की राह :

बीमा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ जैसे कम प्रवेश दर, उत्पाद नवाचार की कमी, धोखाधड़ी, प्रतिभा प्रबंधन, और डिजिटलीकरण की धीमी दर को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं -

1. जागरूकता और शिक्षा : भारत में बीमा के महत्व और लाभों के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाकर और शिक्षा के माध्यम से बीमा प्रवेश दर में सुधार किया जा सकता है।
2. उत्पाद नवाचार का विकास कर : भारत में बीमा पॉलिसीधारकों या ग्राहकों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए नए और अनूठे बीमा उत्पादों का विकास करना होगा।
3. धोखाधड़ी का निवारण करना : धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने के लिए उन्नत तकनीकी समाधानों का उपयोग करना होगा।
4. बीमा उद्योग में प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना : बीमा उद्योग में प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।
5. डिजिटलीकरण की धीमी दर को दूर करना : भारत में बीमा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए निवेश और नवाचारों को बढ़ावा देते हुए भारतीय बीमा उद्योग में डिजिटलीकरण की धीमी दर को दूर करना होगा।

आगे की राह :

- भारतीय बीमा उद्योग के लिए आगे की राह में तकनीकी नवाचार, ग्राहक-केंद्रित सेवाओं का विस्तार, और वित्तीय समावेशन के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता शामिल है। इसके अलावा, वैश्विक बीमा बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए नीतिगत समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

स्रोत - द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में बीमा विस्तार पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसके तहत भारत के आम नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और संपत्ति बीमा को एक ही बीमा पॉलिसी में शामिल करना है।
2. इस बीमा पॉलिसी की कीमत मात्र 2500 रुपए है।
3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
4. इस पॉलिसी को बेचने वाले एजेंटों को 10 प्रतिशत कमिशन दिया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 2 ,1 और 3

B. केवल 3 ,2 और 4

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 4

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में बीमा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है और हाल ही में प्रारंभ किए गए बीमा विस्तार पॉलिसी इसका समाधान / निवारण कैसे करता है? (UPSC CSE-2023) (शब्द सीमा -250 अंक - 15)